न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी : **अशोक असीजा आर.ए.एस**

प्रकरण संख्या 28 / 2020

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़। प्रार्थी

बनाम

प्रदीप जैन पुत्र चम्पालाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तह0 हनुमानगढ़ अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी0 एक्ट

उपस्थित : 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री आनंद व्यास अप्रार्थी अधिवक्ता।

:निर्णय: -

दिनांक - 29.07.2021

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.10.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग व कालाबाजारी रोकने के लिए फतेहगढ़ मोड़ धानासर रोड़ हनुमानगढ़ टाउन स्थित एक दुकान मैसर्स जैन स्वीट्स पर उपस्थित हुए। मौके पर दुकान में अवस्थित फर्म के मालिक प्रदीप जैन पुत्र चम्पालाल को मिठाई निर्माण गोदाम का निरीक्षण करने हेतु कहा गया। तलाशी के दौरान गोदाम में 14 घरेलू गैस सिलेण्डर व 12 व्यावसायिक इण्डेन के सिलेण्डर पाये गये। उक्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डरों में से 3 घरेलू गैस सिलेण्डर भट्टी से गैस पाईप लाइन के जरिये जुड़े पाये गये व 11 गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखे पाये गये। मौके पर मिठाई बनाने के लिए घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग पाये जाने पर उक्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डर जो कि एच0पी0 कम्पनी के है, को मौके पर ही जब्त कर श्री सन्नी छाबड़ा पुत्र ओमप्रकाश छाबड़ा निवासी वार्ड नं0 43, हनुमानगढ़ टाउन हाल कार्यकर्ता श्री बालाजी गैस एजेन्सी को सुपुर्दगी में दिये गये। इस प्रकार प्रदीप जैन पुत्र चम्पालाल निवासी हनुमानगढ़ टाउन तह0 हनुमानगढ़ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2000 के खण्ड 3(ग) का उल्लंघन किया गया है। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त 14 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि उपरोक्त समस्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के जानकार रमेश कुमार पुत्र बाबूराम यादव निवासी वार्ड नं0 27 हनुमानगढ़ टाउन के परिवार में दिनांक 30.10.2020 को ढाणी 18 एचएमएच में होने वाले समारोह के लिए रखे हुए थे। उक्त समस्त सिलेण्डर अप्रार्थी का जानकार रमेश ले जाने वाला था, तब जब्ती की कार्यवाही हुयी। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी के जब्त सिलेण्डरों को वापस लौटाये जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डरों में कुछ खाली व भरे हुए सिलेण्डरों के साथ पकड़ा गया है, जो कि अवैध भण्डारण है। मौके पर 3 सिलेण्डर घरेलू भट्टी से जुड़े पाये गये है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त दुकान पर ही सिलेण्डरों का उपयोग हो रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है। अप्रार्थी द्वारा इतने घरेलू सिलेण्डरों को एक साथ रखना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपरोक्त समस्त घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी के जानकार रमेश कुमार पुत्र बाबूराम यादव निवासी वार्ड नं0 27 हनुमानगढ़ टाउन के परिवार में दिनांक 30.10.2020 को ढाणी 18 एचएमएच में होने वाले समारोह के लिए रखे हुए थे। उक्त समस्त सिलेण्डर अप्रार्थी का जानकार रमेश ले जाने वाला था, तब जब्ती की कार्यवाही हुयी। अतः जब्तशुदा सिलेण्डरों को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू सिलेण्डरों की जब्ती के दौरान मिष्टान निर्माण गोदाम से घरेलू गैस सिलेण्डरों को व्यावसायिक उपयोग करने मे पाये जाने पर जब्त किये गये हैं। कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने का तर्क उचित साबित नही होता है। अतः पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ़ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर इस प्रकरण में जब्त 14 सिलेण्डरों को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.07.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़